



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222496
CG-DL-E-16102020-222496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3222]
No. 3222]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/ आश्विन 24, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3634(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-(क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी किए जाने की तिथि से **पैंतालीस [45] दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में **अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in** पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

पैरा/क्र.सं.	दिल्ली मुख्य योजना-2021	
	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/आशोधन
	अध्याय 4.0 आश्रय व्यवस्था (शैल्टर)	
1.	पैरा 4.4.3 आवासीय परिसरों के अंदर भवन/भवनों के लिए नियंत्रण झ. राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह	
	अन्य नियंत्रण:	अन्य नियंत्रण:

निर्मित क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मी. पर 2 ई.सी.एस. के हिसाब से पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी।	निर्मित क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मी. पर 1.0 ई.सी.एस. के हिसाब से पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी।
---	---

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. एफ. 20(09)/2015-एमपी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th October, 2020

S.O. 3634(E).—The following modification which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 or via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of **Forty Five (45) days** from the date of issue of this Notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Modification:

Para/ S.No.	MPD 2021	
	Existing Provisions	Proposed Amendments/Modifications
	Chapter 4.0 Shelter	
1.	Para 4.4.3 CONTROL FOR BUILDING/ BUILDINGS WITHIN RESIDENTIAL PREMISES I. STATE BHAWAN/ STATE GUEST HOUSES	
	Other Controls: Parking to be provided @ 2 ECS per 100 sq.m. of built up area	Other Controls: Parking to be provided @ 1.0 ECS per 100 sq.m. of built up area

2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx>.

[F. No. F.20(09)/2015-MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.